

आर्डर शीट (कार्यवाही विवरण)

न्यायालय का नाम:- उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर, जोधपुर

मामला क्रमांक:- 2024/243

रजिस्ट्रेशन नंबर:- मामले की श्रेणी:- राजस्व राजस्व वर्ष:- 2026-2027

मोहन राम

फ:- चेनाराम

- जिला जोधपुर (ग्रामीण), तहसील पीपाड शहर, ग्राम -

पेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही
	आगामी सुनवाई तारीख : 17/12/2025
1/2025	पत्रावली आगामी तारीख पेशी पर पेश हो। आगामी सुनवाई तारीख : 12/01/2026
1/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार पीपाड शहर से पीडी पालना रिपोर्ट प्राप्त, वास्तो बहस पत्रावली आगामी तारीख पेशी पर पेश हो। आगामी सुनवाई तारीख : 21/01/2026
1/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पुन पेश करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विड्रो खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना चाहते है। वकील प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई गई। वकील प्रतिवादी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी पर पेश हो। आगामी सुनवाई तारीख : 22/01/2026
1/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वाद पुन पेश करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विड्रो खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना चाहते है। वकील प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई गई। वकील प्रतिवादी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करे। पत्रावली आगामी तारीख पेशी पर पेश हो। आगामी सुनवाई तारीख : 22/01/2026
01/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र बहस आगामी तारीख पेशी पर पेश हो। आगामी सुनवाई तारीख : 28/01/2026
01/2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली आगामी पेशी पर पेश हो। आगामी सुनवाई तारीख : 15/04/2026
04/2026	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वकील वादी द्वारा मूल वाद विड्रो किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 क्लॉज 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। जिस पर बहस वकूलाय सुनी गई। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन एवं बहस वकूलाय पर मनन किया गया, जिसके अनुसार वकील वादी मूल वाद विड्रो करने का अधिकारी है। अत वकील वादी द्वारा मूल वाद विड्रो किये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 क्लॉज 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। मूल वाद विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कमिश्नर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)